भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 164

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

उत्तर प्रदेश में लौटने वाले ग्रामीण युवाओं के लिए कार्यक्रम और प्रोत्साहन

164. श्री शशांक मणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले ग्रामीण युवाओं की सहायता करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता संबंधी सहायता और वापस लौटने वाले युवाओं को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता संबंधी जानकारी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या लौटने वाले युवाओं को पारंपरिक उद्योगों में स्थानीय व्यवसाय स्थापित करने के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए नए प्रोत्साहन देने या विस्तार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं जैसै प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से लैस भविष्य के लिए तैयार करने में सक्षम बनाना है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में युवाओं की सहायता के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-नयूएलएम), प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना और प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

*****